तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
03.01.25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं विप्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी का जवाब बन्द किया जाता है। मैंने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एवं विप्रार्थी की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थी विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार है तथा उक्त आराजी में आज प्राथमिक डिक्री जारी हो चुकी है लिहाजा वाद अंतिम डिक्री होना तय है। अतः प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित होने से मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई आदेश इस आशय का जारी किया जाता है कि मौजा पूरावा अराणीयाली के खसरा नं०/रकबा 316/5.4147 है, 265/0.4371 है, 266/3.6503 है, 280/0.1619 है, 281/0.406 है, 282/0.6637 है, 311/0.2105 है, 312/0.0081 है, 313/0.0081 है, 314/0.9389 है, 315/0.0809 है, आराजी के मौके एवं राजस्व रेकर्ड को यथा स्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर जमा रिकॉर्ड कम हो [signature] सहायक कलक्टर SDO धोरीमन्ना

ओमप्रकाश
3/1/2025

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.26 13:51:01 IST
Reason: SelfAttested